108

संख्या– 572 /VI–2/2013–33(28)/2012

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं पर्यटन अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 10 अक्टूबर, 2013

विषयः– **नैनीताल झील में दिनांक 05 अक्टूबर, 2013 से 14 अक्टूबर, 2013 तक आयोजित होने वाली अखिल भारतीय गवर्नस नौकायन प्रतियोगिता, 2013 हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–237/VI–2/2013–21 35)/2012 टी0सी0 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत मानक मद–12 प्रदेशीय कीडा संघों, क्बलों एवं अन्य कीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्य हेतु अनावर्तक अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के आयोजनागत पक्ष में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि ₹20.00 लाख में से नैनीताल झील में माह अक्टूबर, 2013 में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय राज्यपाल नौकायन नौका दौड़ प्रतियोगिता, 2013 के आयोजन हेतु ₹3.00 (₹तीन लाख मात्र) की धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(I) उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध मे साथ स्वीकृत की जाती है कि मित्व्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मदवार व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, तथा वास्तविक व्यय के आधार पर ही आहरण/व्यय किया जाय।

(II) उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। योजना संबंधी शासनादेश संख्या–408/VI-I/2009, दिनांक 30 नवम्बर, 2009 एवं इस विषय पर समय– समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, तथा समिति के सम्मुख प्रस्ताव रखते समय प्राथमिकताओं को भी इंगित करते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जाय। आयोजनोपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

....(2)

(III) धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

(IV) उक्त अनुदान के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय–16–क– अनुच्छेद–369 के सुसंगत प्राविधानों उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अनुदान सम्बन्धी विद्यमान अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(V) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवक सेवायें–00–104 खेलकूद के अन्तर्गत –12 प्रदेशीय कीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य कीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर कय हेतु अनावर्तक अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–517/VI–2/2013–33(28)/2012 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. सचिव, किकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखण्ड देहरादून।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।